


सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री आलोक कुमार के आवेदन पत्र दिनांक 14.11.13 के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है :-

- बिन्दु सं० 1: (I,II,III) वांछित सूचना गाजियाबाद महायोजना-2021 एवं भवन उपविधि-2008 यथासंशोधित से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी प्रति किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कर प्राप्त की जा सकती है।
- बिन्दु सं० 2: इन्दिरापुरम योजना के तलपट मानचित्र के अनुसार भूखण्ड सं० 16, अहिंसाखण्ड-1 का भू-उपयोग सोसियल फेसिलिटीज के अन्तर्गत प्रदर्शित है।
- बिन्दु सं० 3: बिन्दु सं० 2 के अनुसार।
- बिन्दु सं० 4: वांछित सूचना प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग से सम्बंधित है, जिस हेतु पत्र पृष्ठांकित किया गया है।


(एस०एस० रावत)
मानचित्रक



(ज्योति प्रसाद)
नगर नियोजक

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री आलोक कुमार सी.-109, अरिहन्त हारमनी, 8, मॉल रोड, अहिंसाखण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के आवेदन पत्र संख्या 2436 दिनांक 14.11.13 के क्रम में मास्टर प्लान अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दु सं.-4 की वांछित सूचना निम्नानुसार है :-

4. मै. शोमेन क्लब एन्ड इन्स प्रा. लि. कन्सोर्शियम भूखण्ड सं.-16, अहिंसाखण्ड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद का स्वीकृत मानचित्र पत्रावली के अनुसार 116/टी.एच.ए./कॉम/06 दिनांक 07.04.06 मानचित्र स्वीकृत किया गया तदोपरान्त 360/टी.एच.ए./जी.एच./10-11 दिनांक 03.06.10, 114/टी.एच.ए./11-12 दिनांक 23.09.11 एवं 207/जोन-6/2013-14 दिनांक 05.08.13 को संशोधित मानचित्र नियमानुसार शुल्क के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृत मानचित्र की वैधता स्वीकृति से 5 वर्ष तक मान्य है।


(वेद त्यागी)
लिपिक


(अमित तौमर)
अवर अभियन्ता


(अनुराग चौधरी)
सहायक अभियन्ता